अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

Andaman and Nicobar Administration

श्रम आयुक्त व रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशक का कार्यालय

Office of the Labour Commissioner & DET

Port Blair, dated the October, 2022.

NOTIFICATION

No. /2021/F.No.13-16/2021/Appointment/Lab.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification No. U-14039/2/83-ANIL dated 21/02/1985 and in pursuance of GoI, Ministry of Personnel O.M No.14017/13/2016-Estt(RR) dated 09.08.2016, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands, hereby makes the following amendments to the Recruitment Rules to the Group 'A' Gazetted Post of Labour Commissioner in the Establishment of Department of Labour, Employment & Training, Andaman & Nicobar Administration, published in the Andaman & Nicobar Gazette vide No. 246 of 2002 dt. 15th November, 2002.

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-**

(i) These Rules may be called the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands Labour Commissioner (Amendment) Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

AMENDMENTS

2.(i) The existing Column-4 of the Scheduled appended to the Recruitment Rules shall be substituted as under:-

Level in the Pay Matrix	**Level-11 Rs.67700-208700**

(ii) The existing entries against Column-12 of the Scheduled shall be substituted as under:-

DEPUTATION (a).(ii). With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the **Scale of Pay of Rs.56100-177500, Level-10** or equivalent in the parent cadre/ department;

(Admiral D.K.Joshi)
PVSM,AVSM,VSM,NM,VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman & Nicobar Islands

By Order in the name of Lieutenant Governor

[Secretary (Labour)]

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
Andaman & Nicobar Administration
श्रम आयुक्त व रोज़गार तथा प्रशिक्षण निदेशक का कार्यालय
Office of the Labour Commissioner & DET

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक   अक्टूबर 2022

अधिसूचना

संख्या................../2021/फा.13 2021/16-- नियुक्ति /श्रम : - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 21.2.1985 की अधिसूचना संख्या यू-14039/2/83-एएनएल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के दिनांक 09.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017/13/2016-स्थापना –(भ. नि) का अनुसरण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग की स्थापना में धारित श्रम आयुक्त के वर्ग "क" राजपत्रित पद की भर्ती नियमावली जो कि अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में दिनांक 15.11.2002 को संख्या 2002 की 246 द्वारा प्रकाशित हुआ था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

(i) इन नियमों को ''संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के श्रम आयुक्त (संशोधन) भर्ती नियमावली, 2021" कहा जाएगा ।

(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

संशोधन

2(i). भर्ती नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के विद्यमान कॉलम - 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वेतन मेट्रिक्स में स्तर	स्तर – 11: रु 67700-208700

3. अनुसूची के कॉलम-12 के विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रतिनियुक्ति (क) (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतनमान रु 56100-177500, स्तर – 10, या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा हो ।

(जोशी .के.एडमिरल डी)
पी.एम.एस.वी., एएम.एस.वी., वाईएम.एस., एन.एम., वी (अवकाश प्राप्त) एम.एस.
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

सचिव)श्रम(

F.No 2-13/O.L/2022/Labour/

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

Andaman & Nicobar Administration

राजभाषा विभाग

Official Language Department

******

सचिवालय, दिनांक 25 अक्टूबर 2022

सेवा में

श्रम निरीक्षक -1
श्रम आयुक्त व रोज़गार तथा प्रशिक्षण निदेशक का कार्यालय
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
पोर्ट ब्लेयर ।

विषय :अधिसूचना का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध करने से संबंधित ।

महोदय,

आपके अनुभाग से प्राप्त दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के पत्र संख्या D7/ADMN-I5(2)/2020-LC/994 द्वारा अपेक्षित अधिसूचना का हिन्दी पाठ की एक प्रति आगे की कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ आपको भेजी जा रही है ।

भवदीय

अनुलग्नकः यथोक्त

सहायक निदेशक (भा.रा)